



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार-249404

Website: www.psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या :- A-1/DR/(DSP-PT)/S-1/2024

पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) परीक्षा-2024

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	-	09 फरवरी, 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	-	29 फरवरी, 2024 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/ UPI Payment द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	-	29 फरवरी, 2024 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश

1.	अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
2.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक-पत्र के निर्गत होने की तिथि (Issue Date of Marksheet) से किया जायेगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि, विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक होना अनिवार्य है अन्यथा अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
3.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
5.	ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त

	<p>प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत केवल एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या-13 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा।</p> <p>अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।</p>
6.	<p>प्रश्नगत परीक्षा हेतु सिर्फ ऑनलाइन आवेदन-पत्र एवं Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से जमा किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका ऑनलाइन आवेदन अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।</p>
7.	<p>अभ्यर्थी लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की परीक्षा योजना के लिए <u>परिशिष्ट-01</u>, पाठ्यक्रम के लिए <u>परिशिष्ट-02</u>, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु <u>परिशिष्ट-03</u>, न्यूनतम अर्हक अंक हेतु <u>परिशिष्ट-04</u>, ऊँचाई एवं माप में पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु छूट के सम्बन्ध में पर्वतीय प्रमाण पत्र का प्रारूप <u>परिशिष्ट-5</u> एवं अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों से संबंधित चैकलिस्ट हेतु <u>परिशिष्ट-06</u> का अवलोकन करें।</p>
8.	<p>i- आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित नहीं किया जाना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।</p> <p>ii. प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात् लिखित परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जायेगा।</p> <p>iii. आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।</p> <p>iv. विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण-पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।</p> <p>v. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार से पूर्व उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा -शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 के भाग-नौ में उल्लिखित प्राविधानों के</p>

	<p>अनुसार किया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा।</p> <p>vi. अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई-मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई0 डी0 ही आवेदन पत्र में भरें।</p>
9.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
10.	प्रश्नगत लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं अंतिम चयन परिणाम (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-04 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी/उप-श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता-सूची (MERIT) हेतु विचारित किया जायेगा।
11.	<p>लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन हरिद्वार, देहरादून तथा हल्द्वानी नगर के परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित की जायेगी।</p> <p>अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर परीक्षा का आयोजन केवल हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा।</p>
12.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार से पूर्व उनके ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों शैक्षणिक, आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाईन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
14.	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/XXXVI(3)/2023/04(01)/2023 दिनांक 11 फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4 के पत्रांक-16/XXX(4)/2023-03(27)/2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी

	परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
15.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय की गणना के आधार पर निर्गत एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य होना चाहिए, अर्थात् 01 अप्रैल, 2023 से पूर्व निर्गत ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार विभाग में पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमन्त्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक से निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्तियों के क्रम में किया जायेगा।

1. रिक्तियों का विवरण :- पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 04 है। रिक्तियों की संख्या घट व बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार/उपश्रेणीवार निम्नवत् है-

श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज रिक्तियों का विवरण			
		उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व0सं0से0 के आश्रित 2%	पूर्व सैनिक 5%	उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चे 5%
अनारक्षित	02	—			—
अनुसूचित जाति	00	—			—
अनुसूचित जनजाति	00	—	—	—	—
अन्य पिछड़ा वर्ग	01	—			—
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	—			—
योग	04	—	—	—	—

नोट: 1- उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक-05.06.2023 में उक्त पद का दिव्यांगता की उपश्रेणी हेतु चिन्हांकन अंकित नहीं होने के कारण दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार विभाग में पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) पदों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। तदक्रम में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2- यद्यपि प्रश्नगत विज्ञापन में पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु तथा अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

से संबंधित आरक्षण की उपश्रेणियों हेतु विज्ञापित नहीं किये गये हैं, किन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष तथा अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित आरक्षण की उपश्रेणियों के अभ्यर्थी उनकी मूल श्रेणी के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।

उक्त श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों को शासन द्वारा प्रवृत्त शासनादेशों के क्रम में शुल्क तथा अधिकतम आयुसीमा में छूट हेतु निर्धारित प्रारूप पर आरक्षित श्रेणी श्रेणियों/उपश्रेणियों का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2.	वेतनमान	—	वेतन लेवल-10 (रु0 56100-177500)
3.	पद का स्वरूप	—	समूह 'ख', राजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
4.(i)	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	—	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी में परास्नातक उपाधि/वायरलैस कम्यूनिकेशन में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी में परास्नातक उपाधि।</p> <p>अथवा</p> <p>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन/इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इनफॉर्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन/इलैक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि।</p> <p>एवं</p> <p>देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।</p>
4.(ii)	अधिमानी अर्हता	—	<p>(क) ऐसे व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स/दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो।</p> <p>अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—</p> <p>(1) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या</p> <p>(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,</p>

5. शारीरिक स्वास्थ्य एवं न्यूनतम शारीरिक अर्हता के संबंध में मापदण्ड:— संगत सेवा नियमावली के परिशिष्ट-ख के अनुसार:—

उत्तराखण्ड पुलिस संचार के राजपत्रित सेवा में भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिए मापदण्ड

1- उत्तराखण्ड सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए यथा उपयुक्त होने के लिए अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य तथा अपने कर्तव्यों के दक्षता पूर्ण अनुपालन में हस्तक्षेप करने के लिए सम्भाव्य किसी शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिये।

2- उत्तराखण्ड पुलिस सेवा में भर्ती के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं निम्नवत होंगी :-

(क)- ऊँचाई

क्र०सं०	वर्ग	पुरुष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
1	सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति	167.7 सें०मी०	152.0 सें०मी०
2	अनुसूचित जनजाति	160.0 सें०मी०	147.00 सें०मी०
3	पर्वतीय क्षेत्र	162.6 सें०मी०	147.00 सें०मी०

(ख)- सीने की माप (केवल पुरुषों के लिए)

क्र०सं०	वर्ग	बिना फुलाये	फुलाने पर
1	सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति	78.8 सें०मी०	83.8 सें०मी०
2	पर्वतीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति	76.5 सें०मी०	81.5 सें०मी०

**(ग)- शारीरिक वजन
(केवल महिलाओं के लिए)**

न्यूनतम 45 कि०ग्रा०

3- उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की एक आंख 6/6 व दूसरी आंख में 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिये। अतः बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दायीं आंख 6/6 और बांये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बायीं आंख 6/6 होनी चाहिये और वर्णांधता/भैंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिये।

अभ्यर्थी का सटा घुटना, सपाट पैर, बो लैंग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां व अन्य समस्याएं जो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, को अयोग्य माना जायेगा।

उक्त सम्बन्ध में चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिवेदन में अभ्यर्थी के उपयुक्त के होने का प्रमाण दिये जाने पर अभ्यर्थी को अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार सेवा में नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

6. आयु :- आयु सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2023 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 2003 के बाद तथा 02 जुलाई, 1989 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(i). अधिकतम आयु सीमा में छूट :- आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवृत्त शासनादेशानुसार प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

इसी प्रकार पूर्व सैनिकों को ऊपरी आयुसीमा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 17/2/1981-कार्मिक-2, दिनांक 28 फरवरी, 1985 में यह उल्लिखित है कि "उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, पूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों।"

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

7. राष्ट्रीयता :-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगाण्डा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो:

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है तो पात्रता प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी :- जिन अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे किसी परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. चरित्र :-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी :- संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

9. वैवाहिक प्रास्थिति :- ऐसा पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पति हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे:

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

10. शारीरिक स्वस्थता :-किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसके लिए मापदण्ड परिशिष्ट-‘ख’ में उल्लिखित है:

11. आरक्षण :- उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(i). आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रारूप पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, उक्त प्रमाणपत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

(ii). अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा महिला श्रेणी, उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0) के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(iii). उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(iv). अधिसूचना संख्या-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण)

अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्यधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

अर्थात् आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय की गणना के आधार पर निर्गत एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य होना चाहिए, अर्थात् 01 अप्रैल, 2023 से पूर्व निर्गत ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(v). आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के “परिशिष्ट-3” में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख “परिशिष्ट-3” में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(vi). स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को क्षैतिज आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

(vii). अधिसूचना संख्या:-179/XXX(2)/2021-30(2)/2019, दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

(viii). यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

12. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया (Procedure to apply online) -

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात ukpsc.net.in पर जाकर **Menu bar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
- 3- **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर **वांछित**, अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी।

भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात् **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात् अभ्यर्थी **High School** का विवरण भर कर **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात् **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **re upload** करने के लिए **I want to upload photo and signature** **Checkbox** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।
6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात् **“I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself”** **declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फार्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वांछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Proceed Button** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु **Pay Now Button** पर क्लिक कर, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।
7. **Final Submission** के उपरान्त आवेदन-पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (**Cancel**) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। रद्द किये गये आवेदन पत्र के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल पर ओटीपी (OTP) प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन (**Cancel Application**) के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट: (1) उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के

बाद **Final Submit** बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(2) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म में वापस (**Back**) जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या (**Technical Issue**) के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं। **Final Submission** के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर Edit** नहीं किया जा सकता है।

13. संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया-

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (Edit/Correction) का लिंक खोला जाएगा।
- (ii) Edit/Correction हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- (iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आईडी0 एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।
- (iv) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (**मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 को छोड़कर**) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- (v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।
- (vi) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

14. आवेदन शुल्क :- प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card/ UPI Payment के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :-

क्र०सं० (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन-शुल्क (Application Fees ₹0)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax ₹0)	कुल शुल्क (Total Fees ₹0)
01.	अनारक्षित	150	22.30	172.30
02.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	150	22.30	172.30
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	60	22.30	82.30
04.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	150	22.30	172.30
05.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोट :- उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

15. अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश—

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/ नियमावलियों/ मैनुअल्स/ मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन-2016, सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 यथा संशोधित आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

(03) विज्ञापित पदों हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type Multiple Choice), विज्ञापन के **परिशिष्ट-1** में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(05) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई-मेल ukpschelpine@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।

(06) चयन/परीक्षा की मेरिट सूची में उन्हीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जायेगा, जिन्होंने परीक्षा के प्रत्येक चरण (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया हो तथा लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना के अनुसार जितने भी प्रश्नपत्र/विषय निर्धारित हैं, उन सभी प्रश्नपत्रों/विषयों में अनिवार्य रूप से परीक्षा दिया हो/प्रतिभाग किया हो।

उक्त के साथ ही प्रश्नगत पद हेतु विज्ञापन के बिन्दु संख्या-5 में उल्लिखित निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित किये जायेंगे।

(07) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार से पूर्व उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 के भाग-नौ** में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार **अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया जायेगा।** अभिलेख सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(08) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में **आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।**

(09) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड-** वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्डस्वरूप (ऋणात्मक मूल्यांकन) किया जायेगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(10) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्र से सम्बन्धित उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(11) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी (डिजिटल एवं एनालॉग आदि) अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

16. अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश—

(1) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सफल तथा सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 में उल्लिखित संगत प्राविधानों के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(2) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र भर कर ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाणपत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों/अभिलेखों से साक्षात्कार दिवस में साक्षात्कार से पूर्व किया जायेगा तत्समय अभ्यर्थी को स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटो ग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(4) **शारीरिक अर्हता संबंधी मानकों को पूर्ण करने** अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के अनुसार **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022** के क्रम में न्यूनतम अर्हता अंक धारित अभ्यर्थियों को प्रवीणता सूची (मेरिट) में रखा जायेगा। अंतिम चयन परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।

17. सामान्य निर्देश-

(1) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित-** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। **ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।**

(2) **परीक्षा केन्द्र में आचरण-** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलाये तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(3) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)-** सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु उन्हें उपलब्ध कराये गये उत्तर पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (**पुरुष** अभ्यर्थी की दशा में **बायें अँगूठे** का निशान तथा **महिला** अभ्यर्थी की दशा में **दायें अँगूठे** का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(4) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(5) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(6) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम (औपबधिक) होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी

आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो आयोग द्वारा उसका चयन निरस्त करते हुए संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(7) हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(8) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 यथा संशोधित-2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(9) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(10) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:-

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार

करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ङ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(11) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(12) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(13) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(14) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(15) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड के हरिद्वार, देहरादून तथा हल्द्वानी नगर के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आवेदित जनपदों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य जनपदों में भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा और न ही उस पर विचार किया जायेगा। साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के हरिद्वार स्थित परिसर में किया जायेगा।

(16) अभ्यर्थी लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित फोटो पहचान पत्र (आई0डी0) अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(17) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(18) चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(19) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट-01

पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) पद पर चयन हेतु परीक्षा
योजना / पाठ्यक्रम

(क) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्र. सं.	प्रश्न-पत्र	विषय	परीक्षा का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि
1.	प्रश्नपत्र-I	सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन	वस्तुनिष्ठ प्रकार	100	100	2 घण्टे
2.	प्रश्नपत्र-II	इलैक्ट्रॉनिकी और संचार अभियांत्रिकी	वस्तुनिष्ठ प्रकार	150	300	3 घण्टे
कुल अंक (लिखित परीक्षा)					400	
(ख) साक्षात्कार					50	
कुल अंक (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार)					450	

नोट:- 1. उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक (1/4) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

परिशिष्ट-02

पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) पद पर चयन हेतु

पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र-I

(सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन व सामान्य हिन्दी)

प्रश्नों की संख्या: 100

अधिकतम अंक: 100

समयावधि: 2 घण्टे

क- सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन

प्रश्न की संख्या-80

अधिकतम अंक-80

1	सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी : सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग पर आधारित होंगे।
2	भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन : भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत प्रश्न; प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन पर आधारित होंगे।
3	भारतीय राज्य व्यवस्था : भारतीय राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्न; भारतीय राज्यव्यवस्था, संविधान एवं पंचायती राज पर आधारित होंगे।
4	भारत का भूगोल एवं जनांकिकी : इसके अन्तर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारस्थितिकीय, सामाजिक-आर्थिक और जनांकिकीय पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित होंगे।
5	सम-सामयिक घटनाएं : इसके अन्तर्गत प्रश्न उत्तराखण्ड राज्यीय तथा राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होंगे।
6	उत्तराखण्ड का इतिहास : उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई० तक): मध्यकाल (1200 से 1815 ई० तक): प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका।
7	उत्तराखण्ड की संस्कृति : जातियाँ एवं जनजातियाँ, धर्म एवं लोक विश्वास, परम्पराएं एवं रीति-रिवाज, वेश-भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार पर आधारित होंगे।
8	उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी: भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड में नदियाँ, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, मिट्टी एवं बागवानी, प्रमुख फसलें, सिंचाई के साधन, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएँ एवं आपदा प्रबन्धन, जल संकट और जलागम प्रबन्धन, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन, उत्तराखण्ड की जनसंख्या: वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन।

9	उत्तराखण्ड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन— प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, पर्यटन, खनिज तथा उद्योग, संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति। उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ।
10	सामान्य बुद्धि परीक्षण :: सामान्य बुद्धि परीक्षण के अन्तर्गत बोधगम्यता, तार्किक एवं गणितीय क्षमता इत्यादि का परीक्षण सम्मिलित है।

A- General knowledge, General Studies

No of Questions : 80

MM: 80

1	General Science and Knowledge of Computer Operation: Questions on General Science and Computer operation will cover general understating and application of science and Computers including matters of day to day observation.
2	History of India and Indian National Movement: Questions on history of India and Indian National Movement will be based on general understanding of ancient, mediaeval and modern India and India's freedom movement.
3	Indian polity: Questions on Indian polity will be based on Indian polity, Constitution and Panchayati raj.
4	Geography and Demography of India: Questions will be based on a general understanding of geographical, ecological, socio-economic aspects and demography of India.
5	Current Events: Questions will be based on important current events of Uttarakhand State and National.
6	History of Uttarakhand: Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD) ; Mediaeval period (from 1200 to 1815 AD): Important dynasties and their achievements; Gorkha invasion and administration, British rule, Tehri State and its administration, role of Uttarakhand in the Freedom Movement of India.
7	Culture of Uttarakhand: Question will be based on Castes and tribes, religious and folk beliefs, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festivals, dances, songs, musical instruments, sports, tournaments and awards.
8	Geography and Demography of Uttarakhand: Geographical Setup. Rivers, mountains, climate, soils, forest resources and horticulture and Major crops of Uttarakhand. Means of irrigation. Natural and man-made calamities and Disaster management. Water crises and watershed management, Environment and environmental movements. Population of Uttarakhand: Distribution, density, sex ratio, literacy and migration.

9	Economic and natural resources: Education system of the State and important educational institutes; tourism, minerals and industries. the position of utilization of resources. Various schemes being implemented in Uttararakhand for the eradication of poverty and unemployment.
10	General intelligence test: In General Mental Ability, questions will includes test comprehension, reasoning and numerical ability.

ब-सामान्य हिन्दी

प्रश्नों की संख्या: 20

अधिकतम अंक: 20

स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम-व्याकरण विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, विराम चिह्न।

प्रश्न पत्र—II
(इलेक्ट्रॉनिकी और संचार अभियांत्रिकी)

प्रश्नों की संख्या: 150

अधिकतम अंक: 300

समयावधि: 3 घण्टे

खण्ड—क

प्रश्नों की संख्या: 75

अधिकतम अंक: 150

नोट:— इसमें 10 यूनिट हैं, प्रत्येक युनिट से प्रश्न तैयार किये जायेंगे।

1. अर्धचालक भौतिकी: ठोसों में ऊर्जा बैंड, अर्धचालक, एक अर्धचालक में धारा प्रवाह की क्रिया विधि, P-N सन्धि डायोड, विभिन्न प्रकार के डायोड और उनकी विशेषतायें तथा उपयोग, द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर, ढाल, स्थिरता, सूक्ष्म संकेत विश्लेषण, उच्च आवृत्ति मॉडल, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, MOSFET, विभिन्न प्रकार के ढालों की तकनीकियाँ, UJT का सिद्धान्त एवं अनुप्रयोग, शक्ति परिवर्तक यंत्र जैसे SCRs, प्रवर्धक, बहुस्तरीय प्रवर्धक, प्रवर्धक का आवृत्ति प्रतिफल।

2. इलेक्ट्रॉनिक परिपथ: परिशोधक (अर्द्ध-तरंग पूर्ण-तरंग सेतु), स्पंद आकार परिपथ-कतरनियाँ, क्लैम्पर्स, शक्ति प्रवर्धकों के प्रकार, श्रेणी पुर्न प्रवर्धक-A, श्रेणी पुर्न प्रवर्धक ट्रांसफार्मर युग्मित-B, कर्शायकर्श परिपथ- प्रवर्धक संनादी विरूपण श्रेणी C और D प्रवर्धक-अभिकल्पना विचाराधीन।

VLSI परिपथ परिरूप :- एकाष्ठीय ICs, IC- घटक – प्रतिरोध (एकीकृत, डीफ्यूज्ड, पतली झिल्ली), MOS संधारित्र, (कुचालक), द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर, पतली झिल्ली तकनीक, LSI, MSI, VLSI. अर्धचालक पदार्थ, अल्ट्राक्लीन तकनीक, एकस्फटिक वर्धन, सिलिकॉन का उष्णीय ऑक्सीकरण, ठोस अवस्था का प्रसार, आयन रोपण, भौतिक तथा रासायनिक वाष्प भण्डारण, सूखी तथा आद्र खुरचन, लीथोग्राफी तकनीक, VLSI/VLSI एकीकृत प्रक्रम।

3. संक्रियात्मक एवं पुनर्निवेशन प्रवर्धक: विभेदी प्रवर्धक, पुनर्निवेशन, आदर्श और वास्तविक सक्रियात्मक प्रवर्धक, निवेशी और निर्गत प्रतिबाधा, आवृत्ति प्रतिक्रिया। संक्रियात्मक प्रवर्धक के अनुप्रयोग-प्रवर्धक गणितीय संक्रिया, सक्रिय छनित्र, तरंग रूपी जनित्र, अनुरूप कम्प्यूटेशन, तुलनाकारी, प्रतिचयन एवं धारण परिपथ, विभव नियामक। IC 555 समयक अनुप्रयोग। पुनर्निवेश सिद्धान्त, स्थिरता पर पुनर्निवेश का प्रभाव, अरेखीय विरूपण, निवेशी और निर्गत प्रतिबाधा, बैंड की चौड़ाई, पुनर्निवेश के विभिन्न प्रकार, दोलन के लिए मानदण्ड-कला विस्थापन, वीन सेतू, क्रिस्टल दोलन, आवृत्ति स्थिरता। बहुकम्पिन्न -अस्थाई, एकक-स्थिर और द्विस्थिर। Schmitt विमोचक परिपथ-बूट स्ट्रैप, प्रसर्प परिपथ।

4. इलेक्ट्रॉनिकी संचार प्रणालियां: मूल सूचना सिद्धान्त, तुल्य तथा अंकीय प्रणाली में मॉडुलन और विमॉडुलन, विभिन्न संचार प्रणाली में शोर प्रदर्शन प्रतिचयन तथा डाटा पुनर्निर्माण, परिमाणीकरण तथा कूटन, समय विभाजन तथा आवृत्ति विभाजन बहुगुणन, समानीकरण, शोर

HF, VHF, UHF तथा सूक्ष्म तरंग आवृत्ति पर संकेतों का प्रसार, उपग्रह संचार, MASER, LASER।

5. मॉडुलेशन एवं डिमॉडुलेशन युक्तियाँ:

एनालॉग मॉडुलेशन: AM, FM और PM, गणितीय अभिव्यक्ति एवं शक्ति का आँकलन। सन्तुलित नियंत्रक, रिंग नियंत्रक, SSB मॉडुलन, प्रतिघात नली नियंत्रक। अन्वालीय डायोड संसूचक, सुसंगत संसूचक, फोस्टर-सीली अवस्था विविक्तकर, अनुपात संसूचक।

स्पंद मॉडुलेशन: PAM, PWM, PPM, PCM, ADPCM, DM - मॉडुलेशन एवं डिमॉडुलेशन की युक्तियाँ

डिजिटल मॉडुलेशन: ASK, FSK, PSK, QPSK, QAM, MSK - मॉडुलेशन एवं डिमॉडुलेशन की युक्तियाँ

प्रेषी और अभिग्राही: AM प्रेशी, FM प्रेशी, लयबद्ध रेडियो आवृत्ति अभिग्राही, अति-आवृत्ति मिश्रक अभिग्राही।

6. मोबाइल/वायरलेस संचार : मोबाइल संचार के सिद्धांत, प्रसार, वायुमण्डलीय प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव, संकेत क्षीणन, बहुमार्गीय संचलन, संकेत क्षीणता, डॉप्लर प्रभाव, सेल्यूलर अवधारणा, आवृत्ति पुनःउपयोग के अनुप्रयोग, सह चैनल हस्तक्षेप, आसन्न चैनल हस्तक्षेप, हस्तक्षेप को कम करने के लिए बिजली नियन्त्रण, एकाधिक वायरलेस कम्यूनिकेशन के लिए एक्सेस प्रौद्योगिकियाँ – फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (एफ.डी.एम.ए.), टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (टी.डी.एम.ए.), कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सी.डी.एम.ए.), स्प्रेड स्पैक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस (एस0एस0एम0एम0), फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पैक्ट्रम (एफ.एच.एस.एस.), वायरलेस लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.)। उपग्रह आधारित सेल्यूलर प्रणाली, माइक्रोसेल्यूलर आधारित प्रणाली, फिकस्ड वायरलेस एक्सेस प्रणाली, मोबाइल संचार प्रणाली-ग्लोबल मोबाइल संचार प्रणाली, (जी0एस0एम0/सी0डी0एम0एम0) प्रणाली, जी.पी.आर.एस. और जी.पी.एस. प्रणाली, मोबाईल- 4-जी/5-जी प्रणाली, ब्लूटूथ, इन्फ्रारेड डाटा अधिग्रहण (IRDA), वाई-फाई, वाई-मैक्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेन्टीफिकेशन (RFID)।

7. एन्टिना एवं संचरण रेखायें: एन्टिना की प्ररिभाषा एवं भौतिक सिद्धांत, बिन्दु स्रोत, गेन, दिशा सूचक, एपर्चर, प्रभावी विकिरण स्वरूप, विकिरण प्रतिरोध। रेडियो सक्रिय क्षेत्र सामर्थ्य, एक एलिमेन्ट्री शक्ति और संचार प्रणाली, विद्युत द्वि और रेखीय एन्टिना का भूमि परावर्तन के प्रभाव, हर्टज एन्टिना, यागी-उडा एन्टिना, एन्टिना व्यूह (अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और पराश्रयिक), TV एरियल मध्यम तरंग मास्ट एन्टिना, डिश एन्टिना। संचरण रेखायें समीकरण और उनके हल, अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा, क्षय रहित खुली तथा बन्द परिपथ लाईनें, स्थिर तरंग अनुपात तथा परावर्तनांक, TLS का सुमेलन, स्टब सुमेलन, अर्धतरंग दर्घ्य रेखायें, तरंगपथ-निर्धारित का परिचय।

8. प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स: प्रकाशीय तंतु, क्रमिक सूचकांक, सोपान सूचक तंतु, एकल एवं बहु विन्यास तंतु, अंकीय एपर्चर, v-नम्बर अपवर्तनांक प्रोफाइल- तंतु में प्रकाशीय किरण का संचरण- विधा अभिलाक्षणिक और अंतक शर्तें, मोड क्षेत्र व्यास, प्रकाशीय तंतु के ह्रास, क्षीणता एवं फैलाव की प्रक्रिया, फैलाव, फैलाव समतलीय तन्तु, फैलाव विस्थापन तन्तु, बाईरेफरिजेंस एवं विस्पन्दन लम्बाई, संकेत विरूपण, समूह विलंब-पदार्थ और तरंग पथक परिक्षेपण। प्रकाशीय, तन्तु तंत्र, प्रकाशीय सम्प्रेक्षण परिपथ, बहुगणक प्रक्रिया WDM, प्रकाश तन्तु में मॉड्यूलन की प्रक्रिया, OTDR.

प्रकाशीय स्रोत: LED कार्य सिद्धांत एवं संरचना, लेजर, अवशोषण, स्वतः एवं प्रेरित उत्सर्जन, अंतः क्षेपण लेसर डायोड (ILD), LED और ILD में तुलना।

प्रकाशीय संसूचक: फोटो डायोड-p-i-n, APD, संसूचको में शोर।

9. कम्प्यूटर अभियन्त्रिकी: कम्प्यूटर के विकास का इतिहास, सूक्ष्म लघु, वृहत और परम अभिकलित्र। CPU और अन्य उपांत युक्तियाँ, निकाय सॉफ्टवेयर, उपयोगिता सॉफ्टवेयर, निकाय सॉफ्टवेयर का परतीय संगठन। संख्या प्रणालियाँ, डाटा प्रतिरूपण, प्रोग्रामन, उच्चस्तरीय प्रोग्रामन भाषा के तत्व, C/C++/PYTHON मूल डाटा संरचना के उपयोग, कम्प्यूटर शिल्प के मूल आधार, स्मृति संगठन, I/O प्रणाली संगठन, माइक्रोप्रोसेसर-8085 और 8086 का शिल्प तथा निर्देश सेट, क्रमभंग, 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर, पेंटियम प्रोसेसर, RISC प्रोसेसर, एम्बडेड सिस्टम के अनुप्रयोग, रोबोटिक एवं अनुप्रयोग, डाटा अधिग्रहण प्रणाली संकलन भाषा प्रोग्रामन, माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रणाली अभिकल्प, पर्सनल कम्प्यूटर तथा उनके प्ररूपी उपयोग।

10. सूचनाओं का प्रतिरूप: अंकीय प्रणाली, असंबद्ध बिन्दु प्रदर्शन, वर्णकूट, (ASCII, EBCDIC) त्रुटि संसूचक और संसोधन कूट, व्यापारिक सॉफ्टवेयर जैसे Excel, Word, Windows की सामान्य जागरूकता और दूसरे वैज्ञानिक उपयोगितायें, चिति, पंक्तिय, श्रृंखलन सूचियां और ट्री जैसे सामान्य ऑकड़ा संरचनायें, MS-DOS और UNIX, LINUX, ANDROID जैसे कठिन प्रचालन तंत्र और उनके उपयोग।

.....

प्रश्नों की संख्या: 75

अधिकतम अंक: 150

नोट:— इसमें 10 यूनिट हैं, प्रत्येक युनिट से प्रश्न तैयार किये जायेंगे।

1. अभियन्त्रिकी सामग्री विज्ञान: विद्युत इन्जीनियरिंग पदार्थों की संरचना एवं गुण, सुचालक, HF कोयल्स, अर्धचालक और कुचालक, हॉल प्रभाव, अयोविद्युत, पीडविद्युत, मृच्छल्प, प्रकाशीय और अतिचालक पदार्थ। निष्क्रिय सघटक और विशेषतायें रोधक, धारक तथा प्रेरक, क्वार्टज स्फटिक मृच्छल्प अनुनादक।

2. अंकीय लॉजिक और परिपथ: बुलियन एक्सप्रेसन, SOP और PO का सिद्धांत, अंकीय कोड, बुलियन फलनों का सरलीकरण, कारणों नक्शा और उपयोग, IC लॉजिक द्वार उनकी विशेषतायें, IC लॉजिक परिवार DTL, TTL, EC, NMOS, PMOS और CMOS द्वार और उनकी तुलना, सयुग्म लॉजिक परिपथ, अर्धयोजक, पूर्ण योजक, सबट्रैक्टर, अंकीय संयोजक, बहुसंकेतक, बहुसंकेतक वियोजक, कूटक, विसंकेतक, ROM और उनकी उपयोगितायें, लैच, फलीप फ्लॉप, लैच और फलीप फ्लॉप में अन्तर, R-S, J-K, D और T फलीप फ्लॉप, विभिन्न प्रकार के गडक और रजिस्टर, तरंग प्रकार जनित्र, A/D और D/A परिवर्तक, अर्धचालक स्मृतियां।

स्मृतियां: स्मृतियों का वर्गीकरण, RAM ऑरगेनाइजेशन, लेखन/पठन संक्रिया, स्मृति चक्र, काल तरंग रूप, स्मृति डिकोडर, स्मृति विस्तार, स्थैतिक RAM सेल, द्विध्रुव RAM सेल, MOSFET RAM सेल, DRAM सेल, सगठन – PROM, EPROM, EEPROM, EAPROM, क्रमादेशीय तर्क युक्तियाँ, क्रमादेशीय तर्क आव्यूह (PLA), क्रमादेशीय आव्यूह तर्क (PAL)

3. संजाल विश्लेषण संश्लेषण: संजाल विश्लेषण तकनीकें, संजाल प्रमेय, अस्थायी अनुक्रिया, अचल अवस्था ज्यावक्रीय अनुक्रिया, संजाल लेख चित्रण तथा संजाल विश्लेषण में उनके अनुप्रयोग, दो पोर्ट संजाल और दो पोर्ट परिशण मानदण्ड, बिम्ब मानदण्ड, द्विखण्ड प्रमेय, दो संजालो का अन्तरीय सम्बन्ध, आवृत्ति प्रतिफल, संजाल विश्लेषण से राज्य परिवर्ती दृष्टिकोण, दो पोर्ट का एक प्रवाह वक्र, संजाल फलन, संजाल फलन के भाग, दिये हुये पोर्ट से संजाल फलन प्राप्त करना, विद्युत छनित्र, LC, RL और RLC संजाल के लिये निष्क्रिय संजाल संश्लेषण का परिचय, Routh-Hurwitz मापदण्ड।

4. **विद्युत चुम्बकीय सिद्धान्त:** अदिश और सदिश क्षेत्र, ग्रेडियन्ट, डाइवर्जन्स और कर्ल का भौतिकीय महत्व, विद्युत स्थैतिक तथा चुम्बकीय स्थैतिक क्षेत्रों का विश्लेषण, गॉस सिद्धान्त, धारा निरन्तर समीकरण, विस्थापित धारा, मैक्सवेल की समीकरणों, सीमित तथा असीमित माध्यम में तरंग प्रसार का अनुप्रयोग, **प्रेषण** लाइने और तरंग मार्गदर्शक, सूक्ष्मपट्टी लाइनों का परिचय, अनुनादक, एन्टिना सिद्धान्त के तत्व, द्विध्रुव एन्टिना, तरंग प्रवाह, सतह तरंग और आकाशीय तरंगों का प्रवाह।

5. **परिपथ सिद्धान्त:** परिपथ संकल्पनाओं का विकास, संजाल समीकरणों, संजाल प्रमेय, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावृत्ति धारा (एकल कला) परिपथ, युगल परिपथ, चुम्बकीय परिपथ अनुनाद, तीन कलीय सन्तुलित प्रत्यावृत्ति धारा परिपथ, तीन कलीय असन्तुलित प्रत्यावृत्ति धारा परिपथ, समघटक, फोरियर श्रेणी, लॉपलास ट्रान्सफार्म, विद्युतीय अल्पस्थाई, RLC विश्लेषण।

6. **इलैक्ट्रॉनिक मापन तथा यंत्रीकरण:** मूलभूत संकल्पनाएं, मानक एवं त्रुटि विश्लेषण, मूलभूतीय मात्राओं तथा मानदण्डों की माप, इलैक्ट्रॉनिक मापन यन्त्र और उनके कार्य सिद्धान्त, कैथोड किरण दोलनदर्शी (समय अवधि, आवृत्ति एवं स्थिति का मापन), बहुमापक एवं उपयोग, फलन घनक, प्रतिबाधा सेतु, Q मापक, संवेदक और ट्रान्सड्यूशर, गैरविद्युतीय राशियों जैसे ताप, दाब, आदृता आदि का इलैक्ट्रॉनिक मापन, औद्योगिक उपयोग हेतु टेलीमेट्री के मूल।

7. **नियन्त्रण प्रणालियाँ:** नियन्त्रण प्रणालियों की अल्पकालिक तथा स्थायी अवस्था अनुक्रिया, स्थायित्व तथा संवेदनशीलता पर प्रतिपुष्टि का प्रभाव, मूलपथ तकनीकें, आवृत्ति अनुक्रिया विश्लेषण, प्राप्ति तथा प्रावस्था उपांत की संकल्पना, स्थिर M तथा स्थिर N निकोल चार्ट, स्थिर N निकोल के चार्ट से अल्पकालिक अनुक्रिया का सन्निकट, संवृत पाशी आवृत्ति अनुक्रिया से अल्पकालिक अनुक्रिया का सन्निकट, नियन्त्रण प्रणालियों का अभिकल्प, क्षतिपूरक, PID नियन्त्रक, औद्योगिक नियन्त्रक।

8. **संकेत एवं प्रणालियाँ:** संकेत व प्रणालियों का वर्गीकरण, LTI तंत्र, भिन्नक तथा भेद समीकरणों के सन्दर्भ में प्रणाली निदर्श, स्तर परिवर्ती प्रतिरूपण, फोरियर माला, फोरियर रूपांतर तथा प्रणाली विश्लेषण में उनके अनुप्रयोग, लापलॉस रूपान्तर तथा प्रणाली विश्लेषण में अनुप्रयोग, परिवलन तथा अधिरोपण अनुकूल तथा उनके अनुप्रयोग, Z- रूपान्तर तथा भिन्न समय प्रणालियों के विश्लेषण तथा विशिष्टीकरण में उनके अनुप्रयोग, यादृच्छिक संकेत तथा संभाव्यता, परस्पर सम्बन्ध कार्य, रंगावलीय धनत्व, यादृच्छिक निर्विष्टों की रेखिक प्रणाली की अनुक्रिया।

9. सूक्ष्म तरंग युक्तियाँ: सूक्ष्मतरंग नलियों का सिद्धान्त, बहु गुहा क्लीस्ट्रॉन मेग्नेट्रॉन और TWT, तरंग मार्गदर्शकों की विभव तथा धारा परिभाषायें, बिखरने पैरामीटर ABCD पैरामीटर, निष्क्रिय घटक, लघु, उच्च तथा बैंड पास छनित्र, ठोस अवस्था में सूक्ष्म तरंग युक्तियाँ, गन डायोड, PIN डायोड, वेरेक्टर डायोड, पाइन्ट कॉन्टेक्ट IMPATT डायोड, सूक्ष्म तरंग एन्टिना, परिवर्तक, सूक्ष्म तरंग मापन।

10. टेलीविजन और रडार इन्जीनियरिंग: टी0वी0 का मानक और आवश्यकता (NTSC, SECAM, PAL), एकवर्ण प्रेशी तथा संग्राहक, कैमरा नली, रंगीन टी0वी0 की जरूरतें, टी0वी0 संकेत संचरण और एन्टिना, रंगीन संकेत संचरण और संग्रहण, टी0वी0 के अनुप्रयोग, LCD, LED और OLED, HDTV का परिचय, रडार का परिचय, रडार समीकरण CW और FM रडार, MIT और पल्स डॉपलर रडार, ट्रेकिंग रडार, रडार प्रेषण और संग्रहण, रडार एन्टिना, रडार अनुप्रयोग, जैमर एवं काउंटर जैमर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स एवं इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटर मेजर्स (ECCM)।

.....

PAPER-II

(ELECTRONICS & COMMUNICATION)

No. of Questions : 150

Maximum Marks : 300

Time : 3 Hours

Section-A

Number of questions: 75

Marks: 150

Note: There are 10 UNITS. Question to will be set from each unit.

1. Semiconductor Physics: Energy Bands in Solids, Semiconductors, Mechanism of current flow in a semiconductor, P-N junction diode, Different types of diodes and their characteristics & applications, Bipolar Junction transistor, Biasing, Stability, Small Signal Analysis, High frequency model, Field effect transistors, MOSFET & various biasing techniques, Principle and applications of UJT's. Power switching devices like SCRs, Amplifier, Multistage Amplifier, Frequency response of Amplifiers.

2. Electronics circuits: Rectifiers (Half-wave, full-wave, bridge), Pulse shaping circuits - Clippers, clampers, Type of power Amplifiers, Series fed class-A Amplifier, Series fed Transformer coupled class B Push-pull circuits- Harmonic distortion in amplifiers- Class C & D amplifiers- design considerations.

VLSI circuit design - Monolithic ICs, IC-Components- resistors (integrated, defused, thin films), MOS Capacitors, Insulators, Bipolar transistors, thin film technology, LSI, MSI, VLSI. Semiconductor Materials, Ultraclean Technology, Single Crystal Growth, Thermal Oxidation of Silicon, Solid State Diffusion, Ion Implantation, Physical & Chemical vapour deposition, Dry & wet-etching, Lithography Techniques, VLSI/VLSI process Integration.

3. Operational and Feedback amplifiers: Differential Amplifier, Ideal and real op-amp, Input and output impedance, Frequency response. Op-amp Applications: Amplifiers, Mathematical operations, Active filters, Waveform generators, Analog computations, Comparators, Sample and Hold Circuit, Voltage regulator, IC 555 timer application. Feedback principle, Effect of feedback on stability, nonlinear distortion, input & output impedance, bandwidth, different types of feedback. Criteria for Oscillation - Phase shift, Wein bridge, Crystal oscillator, frequency stability. Astable, Monostable, and Bi-stable Multi-vibrators, Schmitt trigger circuit - Boot strap, Sweep circuits.

4. Electronics Communication Systems: Basic information theory & coding: Shannon-Fano coding, Huffman Coding, Linear block codes, Turbo codes, Convolutional codes. Modulation and Demodulation in analog and digital systems, Sampling and data reconstructions, Quantization & encoding, Time division and frequency division multiplexing; Equalization, Noise, Noise performance of various communication systems, Propagation of signals at HF, VHF, UHF and microwave frequency, Satellite Communication, MASERS, LASERS.

5. Modulation & Demodulation Techniques:

Analog modulation: AM, FM and PM. Mathematical expressions and power calculations. Balance modulator, Ring modulator, SSB modulation, Reactance tube modulator. Envelope diode detector, Coherent detector, Foster-Seely phase discriminator, ratio detector.

Pulse modulation: PAM, PWM, PPM, PCM, ADPCM, DM modulation and demodulation techniques.

Digital modulation: ASK, FSK, PSK, QPSK, QAM, MSK modulation and demodulation techniques.

Transmitters and Receivers: AM Transmitter, FM Transmitters, Tuned-RF receiver, Super-heterodyne receiver

6. Mobile/Wireless Communications: Principle of mobile communication, Range, Environmental factors and effects, Geographical effects, Signal loss, Multipath propagation, Fading, Doppler effect, Cellular concept, Applications of re-use of frequency, Co-channel interference, Inter-Channel interference, Electric control to minimize interference, Wireless multiple access techniques-FDMA, TDMA, CDMA, SSMA, FHSS, WLL, Satellite based cellular system, Micro-cellular based system, Fixed wireless access system, GSM-CDMA, GPRS, GPS system, Mobile 4G/5G technologies, Bluetooth, Infra-red data/IRDA, Wi-Fi, Wi-Max, Radio frequency identification (RFID).

7. Antenna & Transmission lines: Definition and physical principle, Point source, Gain, Directivity, Aperture, Effective radiation pattern. Radiation resistance. Active field strength, power and radiation patterns of an elementary electric doublet and linear antenna. Effects of ground reflection. Hertz antenna, Yagi-Uda antenna, Antenna array (Broad-side, end-fire, parasitic), TV aerials, Medium wave MAST antenna, Dish antenna. Transmission Line Equations and their solutions, Characteristic impedance, Lossless open and short-circuited lines, Standing wave ratio and reflection coefficient, Matching of TLS, Stub matching, Half wavelength lines, Introduction to Waveguides

8. Optical Communications: Optical fibers, Refractive index profiles-Graded index, Step index fibers, Single mode and multimode fibers, Numerical Aperture, V-number, Propagation of light in optical fibers - Mode characteristics and cut-off conditions, Mode field diameter. Losses in optical fibers- Attenuation and dispersion mechanism, Signal distortion, Group delay - material and wave guide dispersion, Dispersion flattened fibers, Dispersion Shifted fibers. Birefringence & Beat length. Optical fiber systems, Optical transmitter circuit, Multiplexing, WDM, Modulation process in fiber optics, Optical Time Domain Reflectometer (OTDR).

Optical Sources: LEDs - working principle and structures, Laser - Absorption, Spontaneous & Stimulated emissions, Injection laser diode (ILD), Comparison of LED and ILD.

Optical Detectors: Photo-diodes- p-i-n, APD, Noise in detectors.

9. Computer Engineering: History of developments of computer - micro, mini, mainframe and super computers. CPU and other peripheral devices, System software, Application software, layered organization of system software. Number Systems. Data representation, Programming, Elements of high level programming language, C/C++/Python, Use of basic data structures, Fundamentals of computer architecture, Memory organization, I/O System Organization, Microprocessors , Architecture and instruction set of Microprocessors 8085 and 8086, Interrupts, 32-bit microprocessor, Pentium processor, RISC processor, Applications of embedded system, Robotics & applications, Data acquisition systems, Assembly language Programming, Microprocessor based system design, Personal computers and their typical uses.

10. Representation of information: Number system, integer and floating point representation, character codes (ASCII, EBCDIC), error detection and correction codes, general awareness of popular commercial software package like excel, word windows, other scientific applications, basic data structures such as stacks, queue, linked lists and tree, Typical operation system such as MS-DOS and UNIX, LINUX, Android and there uses.

Section-B

Number of questions: 75

Marks: 150

Note: There are 10 UNITS. Question to will be set from each unit.

1. Engineering Materials Science: Structure and properties of Electrical Engineering materials, Conductors, Semiconductors and Insulators, HF coils, Hall Effect, Magnetic, Ferroelectric, Piezoelectric, Ceramic, Optical and Superconducting materials, Passive components and characteristics - Resistors, Capacitors and Inductors, Ferrites, Quartz crystal Ceramic resonators.

2. Digital Logic & Circuits: Boolean Algebra, Concept of SOP and POS forms, Digital Codes, Simplification of Boolean functions, Karnaguh map and applications, IC Logic gates and their characteristics, IC logic families, DTL, TTL, ECL, NMOS, PMOS and CMOS gates and their comparison, Combinational logic Circuits, Half adder, Full adder, Subtractor, Digital comparator, Multiplexer Demultiplexer, Decoder, Encoder, ROM and their applications, Latches, Flip-flops, Difference in between latches and flip-flops, R-S, J-K, D and T flip-flops, Different types of counters and registers, Waveform generators, A/D and D/A converters, Semiconductor memories.

Memories: Classification of memories, RAM organization, write / read operation, memory cycle, timing wave forms, memory decoding, memory expansion, static RAM cell-Bipolar RAM cell, MOSFET RAM cell, DRAM cells, ROM-Organization- PROM, EPROM, EEPROM, EAPROM, programmable logic devices, programmable logic array (PLA), Programmable array logic (PAL).

3. Network Analysis & Synthesis: Network analysis techniques, Network theorems, Transient response, Steady state sinusoidal response; Network graphs and their applications in network analysis, Two port networks & parameters, Image parameters, Bi-section theorem, Inter-connection of two networks, Frequency response, State variable approach to network analysis, Signal flow graphs of two ports, Network functions, Parts of network functions, obtaining a network function from a given port, Electric filters, Notch filter, Introduction to passive network synthesis for LC, RL & RLC network, Routh-Hurwitz criterion.

4. Electromagnetic Theory: Scalar & Vector fields, Physical significance of Gradient, Divergence & Curl, Review of electrostatic and magneto-static fields, Gauss theorem, Current continuity equation, Displacement current, Maxwell's equations, Application to wave propagation in bounded and unbounded media, Transmission lines & waveguides, Introduction to micro-strip lines, Resonators,

Elements of antenna theory, Dipole antenna, Wave Propagation, Ground Wave, Surface Wave & Sky Wave Propagation.

5. Circuit Theory: Development of Circuit concepts, Network equations, Network theorems, D.C.& A.C (single phase) circuits Coupled circuits, Resonance Magnetic circuits, 3-phase balanced A.C. circuits 3- phase unbalanced A.C. circuits, Symmetrical components, Fourier series, Laplace transforms, electrical transients, RLC analysis.

6. Electronic Measurements and Instrumentation: Basic concepts, standards and error analysis, Measurements of basic electrical quantities and parameters, Electronic measuring instruments and their principles of working, CRO (Measurement of time period, frequency and phase), Multi-meter and its applications, Function generator, Impedance bridge, Q-meter, Sensors & transducers, Electronic measurements of non electrical quantities like temperature, pressure, humidity etc, basics of telemetry for industrial use.

7. Control Systems: Transient and steady state response of control systems, Effect of feedback on stability and sensitivity, Root locus techniques, Frequency response analysis, Nyquist Stability criterion, Bode plot, Concepts of gain and phase margins, Constant-M and Constant-N Nichol's Chart, Approximation of transient response from Constant-N Nichol's Chart, Approximation of transient response from closed loop frequency response, Design of Control Systems, Compensators, PID controller, Industrial controllers.

8. Signals and Systems : Classification of signals and systems, Energy and Power Signals, LTI systems, System modelling in terms of differential and difference equations, State variable representation, Fourier series, Fourier transforms and their application to system analysis, Laplace transforms and their application to system analysis, Convolution and superposition integrals and their applications, Z-transform - ROC, properties and their applications to the analysis and characterization of discrete time systems, Methods of computing inverse Z-transform, Random signals and probability, Correlation functions; Spectral density, Response of linear system to random inputs.

9. Microwave Techniques: Theory of Microwave Tubes, Multi-cavity Klystron, Magnetron and TWTs, Scattering parameters, ABCD parameters, Passive components, low pass, high pass & band pass filters, Solid state Microwave devices, Gunn diode, PIN diode, Varactor diode, Point Contact diode, IMPATT diode, Microwave antennas, Reflectors, Microwave Measurements.

10. Television & Radar Engineering: Requirement & standards of TV (NTSC, SECAM, PAL), Monochrome Transmitter & Receiver, Camera tube, Essentials of color TV, TV signal propagation & Antennas, Color signal transmission & reception, TV applications, Introduction to LCD, LED, OLED, Smart TVs, HDMI. Introduction to Radar, Radar range equation, CW & FM Radar, MTI & Pulse Doppler radar, Tracking Radar, Radar transmitter and receiver, Radar Antennas, Radar Applications, Jammers and counter-jammers, Electronic counter measure and Electronic counter-counter measures (ECCM).

परिशिष्ट-03

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

(1) उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
..... तहसील नगर जिला
उत्तराखण्ड के राज्य की पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक
सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण
अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त
है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी.
दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।
श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड
के ग्राम तहसील नगर जिला
..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

(2) उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड की
.....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर
संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है,
के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका
परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर जिला
..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

मुहर :

पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

(3) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या- 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिलाउत्तर
प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के
लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है
और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)
पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) उपयुक्त अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों
के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम.....
पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

(4) उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम व पता)

(अधिसूचना संख्या:-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या..... वर्ष..... हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....पोस्ट ऑफिस.....
..... जिला..... पिन कोड.....उत्तराखण्ड राज्य के मूल
निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों
से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक
रु० 8.00 लाख (रुपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित
नहीं करता है:-

- I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
 - II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
 - III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
 - IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि..... जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम.....

पदनाम.....

आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

परिशिष्ट-04

पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) परीक्षा-2024 हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022 यथा संशोधित में वर्णित प्राविधान के तहत निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है:-

क्र० सं०	श्रेणी / उपश्रेणी	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)।	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन परिणाम हेतु न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)।
1.	अनारक्षित श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	40%	45%
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%	40%
3.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%	40%

नोट :: सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के सापेक्ष अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता-सूची (MERIT) हेतु विचारित किया जायेगा।

परिशिष्ट-5

शासनादेश संख्या-256 / 18-प्रा0शि0-2-88-20 / 82, दिनांक 16.07.1982

ऊँचाई एवं नापतौल में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....पुत्र / पुत्री
श्री / श्रीमती.....ग्राम.....तहसील / तालुका.....
.....जिला.....राज्य.....के स्थायी निवासी हैं।

उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्कीमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊँनी, मिजो, नागा के मूल वंश और अरुणाचल प्रदेश, लाहुल एवं स्पिति और मेघालय अभ्यर्थियों हेतु ऊँचाई की मापतौल में छूट दी गयी है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम

पदनाम

पदनाम की मुहर

नोट: कृपया जो लागू हो उस पर सही (✓) का निशान लगायें।

परिशिष्ट-06
पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) परीक्षा-2024
Check List

पदनाम – पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार)
अनुक्रमांक-

क्र०सं०	विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हाँ/नहीं)
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र की प्रति	
06	हाईस्कूल अंकतालिका की प्रति	
07	A- आयु हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार 01 जुलाई 2024 तक (जन्मतिथि 02.07.1989 से 01.07.2003 के मध्य) –वर्ष.....माह.....दिन B- आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तिथि तथा प्रमाण पत्र के अनुसार तिथि में परिवर्तन। हाँ/नहीं C- हाँ की दशा में अभ्यर्थी की जन्मतिथि 02.07.1989 से 01.07.2003 के मध्य है अथवा नहीं।	
08	इण्टरमीडिएट/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र	
09	इण्टरमीडिएट/डिप्लोमा अंकतालिका	
10	स्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका (यदि बिन्दु संख्या-12 में उल्लिखित परास्नातक उपाधि धारित करते हों)	
11	स्नातक उपाधि (यदि बिन्दु संख्या-12 में उल्लिखित परास्नातक उपाधि धारित करते हों)	
12	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी में परास्नातक उपाधि/ वायरलैस कम्यूनिकेशन में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी में परास्नातक उपाधि। अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन/इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इनफॉर्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन/इलैक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि।	

	एवं देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। वर्ष-	
13	अधिमानि अर्हता- (क) ऐसे व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी जिसे इलेक्ट्रानिक्स/ दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने- (1) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या (2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,	
14	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0)**	
15	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे)	
16	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।	
17	पर्वतीय निवास प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)	
18	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।	
19	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
20	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।	
21	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा-आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि मूल रूप से तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29 फरवरी, 2024 तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र की वैधता, उक्त प्रमाणपत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हों।

* ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2022-2023 की आय गणना के आधार पर निर्गत तथा वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु मान्य होना चाहिए।

नोट-आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी उक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) एवं समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....